राजस्थान नर्सिंग कौसिल,जयपुर

बी–39,सरदार पटेल मार्ग, सी स्कीम, जयपुर 302001
दूरभाष : 0141–2222923 फैक्स : 0141–2222099

क्रमांकः एफ / लेखा / RNC/2021 / दिनांक :

(निविदा सूचना संख्या 01 / 2021–22)

राजस्थान नर्सिंग कौसिल जयपुर निम्न सेवाओं के लिए अनुभवी पंजीकृत सेवा प्रदाताओं / बोलीदाताओं / संवेदकों से बिड आमंत्रित की जाती है। बिड प्रपत्र नियत शुल्क का, रजिस्ट्रार राजस्थान नर्सिंग कौंसिल के नाम से देय डी.डी भौतिक रूप से कार्यालय में दिनांक 23.09.2021 को 12.00 बजे तक जमा करवाकर कौंसिल कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है अथवा www.sppp. rajasthan.gov.in या https://www.rncjaipur.org की वेबसाईट से डाउनलोड कर निविदा शुल्क 1,000 रुपये की डी.डी एवं बिड प्रतिभूति घोषणा पत्र सहित दिनांक 23.09.2021 अपराह्न 03.00 बजे तक जमा कराया जा सकता है।

क्र. स.	कार्य का विवरण	बिड़ शुल्क रू.	कार्य की अनुमानित लागत (रु. लाखो में)	अमानत राशि	बिड़ फार्म विक्रय करने की तिथि व समय	बिड़ खोलने की तिथि व समय
1	परीक्षा से पश्चात् के कम्प्यूटरीकृत कार्य :— 1. अनुमानित छात्र संख्या (प्रति वर्ष) 45000 (समस्त परीक्षाएं)	1000/-	10.00	50 रुपये के स्टाम्प पर बोली प्रतिभूति घोषणा पत्र (इस पर देय 30 प्रतिशत चार्ज सहित)	14.09.2021 से 23.09.2021 (दोपहर 12.00 बजे)	23.09.2021 अपराह्न 03.30 बजे

SPP पॉर्टल पर अपलोड करने का **UBN No.** MHS 2122 SSOB02292

1. बिड़ सूचना से सम्बन्धित समस्त विवरण www.sppp. rajasthan.gov.in या www.rncjaipur.org पर देखा जा सकता है। प्राप्त बिड सभी उपस्थित संवेदकों के समक्ष दिनांक 23.09.2021 को दोपहर 03.30 बजे खोली जायेंगी।
2. बिडर द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय बिड दो अलग–अलग लिफाफों में तैयार कर, दोनों सील बंद लिफाफों को एक लिफाफें में रखकर एवं सील बंद कर प्रस्तुत किया जावेगा। तकनीकी मूल्यांकन में सफल बिडर्स की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।
3. वित्तीय दर का उल्लेख वित्तीय बिड के अलावा अन्य कहीं भी किये जाने की स्थिति में वित्तीय बिड नहीं खोली जायेंगी।
4. बिड स्वीकृति के संबंध में अध्यक्ष राजस्थान नर्सिंग कौंसिल जयपुर का निर्णय अंतिम होगा।
5. बिड किसी भी स्तर पर अध्यक्ष राजस्थान नर्सिंग कौंसिल जयपुर द्वारा निरस्त की जा सकती है।

रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांकः एफ / लेखा / RNC/2021 / दिनांक :

प्रतिलिपिः—
नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा / जिला कलक्टर कार्यालय / सूचना केन्द्र / निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर।

रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

E:\2021\word files

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल,जयपुर

बी–39,सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302001

दूरभाष : 0141–2222923 फैक्स : 0141–2222099

(बिड आमंत्रण सूचना संख्या –01 / 2021–22)

Technical Bid Check List

Name of Bidder...

Sr.NO	Particulars	Enclosed (Yes/No)
1.	Stamp Rs. 50/ regarding Bid Security Delaration	
2.	Tender Fee Rs. 1000/. DD deposited	
3.	PAN No. of the Bidder (Enclosed a certified copy of the same)	
4.	GST No. of the bidder (Enclosed a certified copy of the same)	
5.	Registration under Rajasthan shops and commercial Estabilishments Act, 1958 or Indian Partnership Act, 1932 of Indian Company Act, 1956	
6.	Any Experience certified issued by the Government/Company/ Institution	
7.	Previous 3 Years Turn Over	
8.	Average Turn Over	

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

E:\2021\word files

राजस्थान नर्सिंग कौसिल,जयपुर

बी–39,सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302001

दूरभाष : 0141–2222923

फैक्स : 0141–2222099

(बिड आमंत्रण सूचना संख्या –01/2021–22)

Technical Bid Check List

Details of Bidder

Sr. No	Particulars	Registration No.	Year	Registration on Date	Enclosed No.
1	Name of the Firm				
2	Name, Address and. Status of Authorised person whose signature on document				
3	Telephone No.				
4	Mobile No. Email.ID				
5	Office of the Firm				
6	PAN No. of the Bidder (Enclosed a certified copy of the same)				
7	GST No. of the Bidder (Enclosed a certified copy of the same)				
8	Registration under Rajasthan shops and commercial Establishments Act, 1958 or Indian Partnership Act, 1932 of Indian Company Act, 1956 (Eclose copy)				
9	Average three year's Turnover (Enclose CA Report)	2018-19	2019-20	2020-21	
10	Stamp Rs. 50/ regarding Bid Security Declaration				
11	Tender Fee DD/ Banker's Cheque Details	DD/ Banker's Cheque No. Date: Amount Rs.			
12	Declaration by Bidder on 100/ stamp Annexure B				
13	Any work Experience Certificate issued by the Govt./ Company/ Institution (enclose copy)				
14	Bank details of Bidder (Bank Name with Branch, Account type, Account No. IFSC Code.				

बोलीदाता/संवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजो के साथ अपलोड़ करनी होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता

E:\2021\word files

राजस्थान नर्सिंग, कौंसिल

तकनीकी बिड

परीक्षा पश्चात का कार्य

1. परीक्षा सम्पन्न होने पर अटेन्डेन्स शीटों को स्केन कर उपस्थित छात्रों को डेटाबेस तैयार करना होगा।
2. नर्सिंग कौंसिल द्वारा परीक्षा उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं के ओ.एम.आर फलैप फाड कर सफल बिडर को स्कैन करने हेतु दे दिये जाएंगे। परीक्षक द्वारा अंक प्रदान किये जाने के पश्चात दुसरा फ्लेप भी फाडकर स्केन करने हेतु दे दिया जायेगा। दोनों फलैप की स्केनिंग के डेटा मर्ज कर वेलिडेट करना होगा। नर्सिंग कौंसिल के विभिन्न नियमानुसार डेटाबेस को प्रोसेस करना होगा। अनुपस्थित परीक्षार्थियों का मिलान अटेन्डेन्स शीट के डेटा से करना होगा। अंतिम अवार्ड तैयार कर सूची वांछित प्रतियों में उपलब्ध करवानी होगी।

उत्तरपुस्तिकाओं के तीसरा फ्लेप, जिसमें परीक्षक द्वारा अंक प्रदान किये जाने के पश्चात एवं OMR Sheet सफलतम बिडर फर्म को सर्वप्रथम उपलब्ध कराया जावेगा। सफलतम बिडर फर्म को तीसरा फ्लैप एवं OMR Sheet को बाद में Sealed packed CD में स्कैन फ्लैप एवं डाटा कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। तत्पश्चात चौथा फ्लैप जिसमे परीक्षाओं के रोल नं0 होंगे। सफलतम बिडर फर्म को उपलब्ध किया जायेगा। तत्पश्चात तीसरा फ्लेप एवं चौथा फ्लैप को वेलिडेट करना होगा एवं नियमानुसार परीक्षा परिणाम की कार्यवाही की जायेगी।

1. परीक्षा पूर्व के डेटाबेस को परीक्षा उपरांत के डेटाबेस से मर्ज कर मार्कशीट प्रिन्ट करनी होगी। मार्कशीट ए4 आकार की 105 जी.एस.एम पेपर पर सिंगर कलर से मुद्रित होगी। मार्कशीट पर डेटा काली स्याही से मय परीक्षार्थी की फोटो इत्यादि प्रिन्ट करनी होगी।
2. मार्कशीट का डेटा वांछित प्रारूप में Resolutation प्रारूप Soft Copy में भी नर्सिंग कौसिल को उपलब्ध करवाना होगा। जिससे उसे वेबसाईट पर अपलोड किया जा सके।
3. परीक्षा परीणाम उपरान्त परीक्षार्थियों द्वारा प्रेषित Retotaling/Re-Evalution के आवेदन फार्मों को कम्प्यूटर में इन्द्राज करके डेटाबेस तैयार करना होगा एवं आवेदनकर्ताओं की नियमानुसार विषयवार सूची एवं Evalution OMR Sheet तैयार करनी होगी। जिससे संबन्धित पैकेट एवं फ्लैप नंबर द्वारा उत्तर पुस्तिकाएं निकाली जा सकें एवं Retotaling/ Re-Evalution की कार्यवाही की जा सके।
4. Retotaling की कार्यवाही पश्चात Re-Evalution का परिणाम तैयार करना होगा। Re-Evalution के पश्चात अगर किसी परीक्षार्थी के नियमानुसार III Evalution की आवश्यकता होती है तो Re-Evalution की ऊपर दर्शायी गई प्रक्रिया की पुनरावृति की जायेगी। तत्पश्चात परिणाम एवं मार्कशीट कार्यालय को सफलतम बिडर फर्म द्वारा उपलब्ध की जायेगा।
   निर्धारित समय पश्चात कार्य पूर्ण करने पर समुचित पेनल्टी का प्रावधान है।
   अंकतालिकाओं में परीक्षार्थी / पिता का नाम / माता के नाम मे संशोधन कर कार्यालय को सफलतम बिडर फर्म द्वारा उपलब्ध करना होगा एवं संशोधित अंकतालिका का कोई चार्ज सफलतम निवेदित फर्म का देय नही होगा।
   मुद्रित किए जाने वाली सामग्री के नमूने कार्यालय में देखे जा सकते है। नर्सिंग काउन्सिल द्वारा इनके प्रारूप में कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। स्पेसीफिकेशन यथावत रहेंगे।

योग्यता की शर्तें:-

1. वित्तीय योग्यता:-
   निविदाकार का औसत टर्नोवर पिछले 3 वर्षो का न्यूनतम रु0 50 लाख वार्षिक होना चाहिए। इस हेतु पिछले तीन वर्षों के अंकेक्षित लेखों की प्रति संलग्न करनी होगी।
2. पंजीयन संबन्धी योग्यता:-
   निविदाकार को निम्न पंजीयन दस्तावेजो की प्रतियां निविदा के साथ लगानी आवश्यक है
   (क) टिन नम्बर
   (ख) सेवा कर
   (ग) पैन
   (घ) अंतिम वित्तीय वर्ष तक का वैट क्लियरेन्स प्रमाण पत्र
   (ङ) एस.एस.आई पंजीयन (केवल उन निविदाकारों के लिए जिन्होंने धरोहर राशि में इस पंजीयन होने के कारण आंशिक छूट मांगी है)
   पंजीयन उसी कार्य अथवा उसी सामान के लिए होना चाहिए जिस कार्य व सामान की अपेक्षा इस निविदा में की गई है।
3. संसाधन संबंधी योग्यता:-
   बिड मे निहित सभी कार्य करने हेतु आवश्यक मशीनरी व कर्मचारी व अन्य संसाधन निविदाकार के पास स्वंय के होने चाहिए।
4. अनुभव संबन्धी योग्यता:-
   बिड में निहित कार्यो के सभी वर्गीकृत कार्यो को फर्म द्वारा किये जाने के एकल अथवा संयोजित कार्यादेश निविदा के साथ संलग्न करने होगी।

E:\2021\word files

OTHER TERMS AND CONDITIONS

1. If the Bidder fails to complete the job and council has to get it done from other firms at higher rates, the difference in the rates accrued shall be deducted from the firm bills/securities besides forfeiting the securities of the firm, imposing penalty and taking such other action as may be deemed fit by the RNC as per Rules.
2. If the job is returned by the firm unexecuted after accepting the same, the security deposited will be forfeited.
3. The nominee of the council can visit the premises of the firm during the period of manufacturing to see the process of the work and to ascertain that the Process work of Examination assigned to the firm going as per work done and safeguards envisaged in the terms and conditions. If any lapes is found, the authorities of the council shall take such action as deemedfit which will be final and binding.
4. The tendered shall have to submit one copy of term & condition duly signed as token of having accepted them along with the list of details of having accepted them along with the list of details of equipments, premises and copy of declaration relating to registration of the press/firm.
5. In case of any dispute arising under this agreement the president, Rajasthan Nursing Council, Jaipur. Would act as and arbitrator and his decision shall be final and binding on both the parties.
6. In case of any dispute arising between the parties and not settled by arbitrator as per rules of the jurisdiction of courts of law shall be at Jaipur.
7. Any Clarification regarding work assigned shall be obtained from Registrar RNC and his vies in the matter will be final.

E:\2021\word files

तकनीकी बिड के साथ आवश्यक रूप से संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज
(चैक लिस्ट)

निविदाकार को इन्हें ध्यानपूर्वक व क्रमवार निविदा के साथ लगाना चाहिए

क्रम संख्या	विवरण
1.	निविदा शुल्क राशि रु 1000 / – की डी.डी
2.	धरोहर राशि की एवज में घोषणा पत्र
3.	GST टिन नम्बर पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति
4.	सेवा कर पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति
5.	पैन पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति
6.	अंतिम वित्तीय वर्ष तक का वैट / GST क्लियरेन्स प्रमाण पत्र
7.	एस.एस.आई पंजीयन (केवल उन निविदाकारों के लिए जिन्होंने धरोहर राशि में इस पंजीयन के होने के कारण आंशिक छूट मांगी है)
8.	लैटहैड पर मशीनों की सूची व स्टाफ का विवरण (क) वैब ऑफसेट मशीन (ख) ओ.एम.आर स्केनर (ग) इमेज स्केनर
9.	उत्तरपुस्तिका मय ओ.एम.आर कवर वेरिएबल डेटा मुद्रण व स्केनिंग सम्बन्धी अनुभव प्रमाण–पत्र (01.04.2018 से 31.03.2021 के ही होने चाहिए इससे पुराने स्वीकार नहीं किए जाएंगे)
10.	कागज के नमूने (क) एडमिट कार्ड हेतु कागज 105 जी.एस.एम का होगा। (ख) मार्कशीट प्रिन्टिंग पेपर का

E:\2021\word files

Proforma for Envelop no. 1
TECHNICAL DETAILS OF THE PRESS

Name of the bidder and Office ....
With complete address and phone no. ....
Established since ....
Constitution of press/office ....

SR. NO.	NAME OF MACHINE	SIZE SPEED OF MACHINE PER HOUR

1. Details of Printing machinery
   i)
   ii)
   iii)
   iv)
2. Details of Computers and Typerstting Equipments
   i)
   ii)
   iii)
   iv)
3. Details of Processing Machinery & plate making
   i)
   ii)
   iii)
   iv)
4. Whether sole manufactuter orAuthorized dealer to deal in the supply/ sale of paper ..../ (If authorized dealer attach authority letter)
5. Manpower available with the Printer
   i) Number of persons engaged in office (give details) ....
   ii) Number of persons engaged in processing section (give details) ....
   iii) Number of persons engaged in Binging Section (give details) ....

Other details of the press

i) Turnover in the last three years
Please attach photocopies of Income Tax return for the last three financial years i.e. 2012-13 2013-14 and 2014-15 along with audited balance sheet & Profit and Loss Account. Also Attach Copy of PAN NO. OF income tax.

2018-19	2019-20	2020-21

ii) Present Major Customers of Examination work
1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....

Particulars of Bid Declaration in liu of Earnest Money

Name of Firm ....
Address ....
Mob. No. ....
Telephone No. (Office) ....
Telephone No. (Printing Press) ....
Stamp & Signature of the Printer ....

Stamp & Signature

E:\2021\word files

UNDERTAKING

Certified that I/We have reat the terms and conditions and these are acceptable to me/us. The porforma giving details of equipments, premises and a coppy of declaration relating to registration of the firm is submitted here with as required under tender. The rates are also given in the enclosed proforma.

Dated: ....

....
(Signarure)
Address..
....
....
....
Mobile No......................................
Office phone no..............................
Fax No. ....

E:\2021\word files

राजस्थान नर्सिंग कौसिल,जयपुर

बी–39,सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302001

दूरभाष : 0141–2222923 फैक्स : 0141–2222099

क्रमांक : एफ/लेखा/ RNC/2021/ दिनांक :

(बिड आमंत्रण सूचना संख्या –01/2021–22)

Financial Bid

संवेदक/फर्म का नाम एवं पता...

Sr.No	Work Description	Rate Per Candidate
1.	Result of Exam Nation Processing on OMR Flap board System	
2.	Printing of TR as per sample (105 GSM Paper)	
3.	Printing of mark sheet as per sample (105 GSM parchment paper) with security features. Microline Bender U/V signature multic sour	
4.	Revatution peocessing work	

Note:- GST Extra (If applicable)

1. एल 1 बिडर का निर्धारण कार्य की कुल लागत के आधार पर होगी।
2. राजस्थान सरकार के सा.वि.ले.नि के अनुसार राज्य के बाहर के बिडर की दरों की तुलना राज्य के बिडर से करने में, राज्य के बिडर की दरों में स्थानीय कर/वेट गणना में नहीं लिया जायेगा।
3. कार्यादेशानुसार निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार शास्ती की कटौती की जायेगी।
4. राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 के प्रावधान लागू होंगे।

हस्ताक्षर निविदादाता

E:\2021\word files

निविदा की सामान्य शर्तें

1. अनुबंध कार्यादेश जारी होने से ए[illegible] वर्ष तक की अवधि के लिये किया जाएगा। सेवाऐं संतोषजनक होने की [illegible]ति में कार्यादेश आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।

2. वित्तीय निविदा में एक से अधिक फ[illegible] की दरें समान पाये जाने पर स्थानीय फर्म को वरीयता दी जायेगी एवं यदि एक से अधिक स[illegible]नीय फर्मों की दरें समान पाये जाने पर निविदा कमेटी का निर्णय सर्वमान्य होगा जिस पर कि[illegible] भी फर्म को अस्वीकार्य करने का अधिकारी नहीं होगा।

3. वर्तमान में प्रभावी किसी भी राजकीय क[illegible]नून/नियम आदि की पालना का पूर्ण दायित्व संवेदक का होगा।

4. सफल निविदादाता को कार्मिकों को लगा[illegible] से पूर्व रूपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा एवं राजस्थान [illegible]ापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियमानुसार 2.5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि जमा कराये जाने [illegible]र ही कार्यादेश जारी किया जावेगा।

5. बोलियों का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन और उपान्तरण (Withdrawal, Substitution and Modification of Bids) :- बोली लगाने वाला बोली प्रस्तुत करने के पश्चात् उसके या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा (प्राधिकरण प[illegible] संलग्न हो) सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित/लिखित नोटिस भेज कर उसकी बोली का प्रत्याहरण, प्रति[illegible]थापन या उपान्तरण कर सकेगा । नोटिस -

(क) बोली दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तुत [illegible]या जावे और इसके अतिरिक्त लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "प्रत्याहरण", "प्रतिस्थापन"या "उपान्त[illegible]" अंकित हो और

(ब) बोलियों को प्राप्त करने के लिए निय[illegible] अंतिम समय और तारीख से पहले बोलियों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा [illegible]या जाये।

(1) बोलियां, जिनके प्रत्याहरण का अनु[illegible] किया गया है, बोली लगाने वालों को बिना खोले लौटा दी जायेगी।

(2) किसी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्था[illegible] या उपान्तरण बोलियों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम समय और तारीख के पश्चात् नहीं [illegible]या जायेगा।

6. वित्तीय बोलियों में अंकणितीय त्रुटिय[illegible] सुधार (Correction of arithmetical errors in Financial Bids) :- बोली मूल्यांकन [illegible]मिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटि[illegible] का सुधार करेगी:-

(क) ईकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो ईक[illegible] मूल्य और मात्रा का गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो ईकाई [illegible]ल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन स[illegible]ति की राय में ईकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है। ऐसे [illegible]मले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और ईकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या [illegible]ने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होगें और योग में सुधार किया ज[illegible]गा और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई वि[illegible]गति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभाती होगी, जब तक कि शब्दों में अ[illegible]व्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क)औ[illegible] के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

7. राजस्थान की और बाहर की फर्मों की [illegible] तुलना:- उन फर्मों की बोलियों का सारणीकरण करते समय की कीमत अधिमान की हकद[illegible] नहीं है, मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, राजस्थान की फर्मों द्वारा कोट की गयी दरों से रा[illegible]ल मूल्य परिवर्धित कर का तत्व अपवर्जित कर

दिया जायेगा और राजस्थान से बाहर की फर्मों की दरों में केन्द्रीय विक्रय कर का तत्व सम्मिलित किया जायेगा।

8. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार:- उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व का उपगत किये बिना किसी बोली का स्वीकार या अस्वीकार करने और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेगें।

9. परिमाण में परिवर्तन का अधिकार (Right to vary quantity) :-

(1) संविदा के अधिनिर्णय के समय बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी किन्तु ऐसी बढ़ोतरी की जा सकेगी किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के ईकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

(2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाले बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के बिना होगी।

(3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेगें, यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी । पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होगी:-

(क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत ।

10. Fall Clause:- यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर सामान, माल, संकर्मों या सेवाऐं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता है/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जाएगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी । समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित कर के अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकार्यता से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मों और मूल दर संविदाधारक फर्म को अपनी कीमत तत्समान कम करने के लिए सूचित की जाएगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

11. सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जाएेगें जिसकी बोली स्वीकार की गई है। तथापि जब, यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण परिमाण का

प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी है या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है ऋजु, पारदर्शी और साम्यपूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रतिप्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रतिप्रस्ताव बातचीत समझा जायेगा।

12. सफल बोली लगाने वालों से कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उत्पादन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की 2.5 प्रतिशत होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी:-

(1) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक,

(2) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी जो जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

(3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति, वारंटी बाध्यताओं और रख रखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदादाता बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से पूरे साठ दिनों के लिए के लिए विधिमान्य होगी,

13. कार्य सम्पादन प्रतिभूति का सम्पहृन (Forfeiture of Performance Security) :- प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में सम्पहृन किया जा सकेगा:-

(1) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(2) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय/सेवा संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति को सम्पहृन करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

14. करार का निष्पादन (Execution of Agreement) :-

(1) सफल बोली लगाने वाले को निविदा स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम सात दिवस में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक है।

(2) यदि बोली लगाने वाला जिसकी बोली स्वीकार की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है तो अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध अधिनियम या इन नियामों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को, स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

(3) बोली लगाने वाले का, उसके खर्चे पर रूपयें 500/- मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करना होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपडत (Counter of Integrity) निशुल्क दी जाएगी ।

15. सत्यनिष्ठा संहिता (Code of Integrity) :- उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति,

(1) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा,

(2) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो,

(3) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचारण में लिप्त नहीं होगा,

(4) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा,

(5) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीड़न में लिप्त नहीं होगा,

(6) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखा परीक्षा में बाधा नहीं डालेगा,

(7) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा,

(8) पिछले तीन वर्षों में भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियम भंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

16. हित का विरोध (Conflict of Interest) :-

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हो जो उस पक्षकार के पदीय कर्त्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थिति भी सम्मिलित है किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि:-

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है,

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है,

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए ही विधिक प्रतिनिधि है,

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकार के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐस संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो,

(ड) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सम्बद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाईन के तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली [illegible] प्रारूपों यह विवरण उपलब्ध करायेगें कि

बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये है, के साथ प्रत्यक्ष रूप से न तो सम्बद्ध है और न हीं सम्बद्ध रहा है व संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

17. बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग:- अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी बोली लगाने वाले या यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप-धारा (3) और धारा 46 के उपबन्धों के अनुसार समुचित कार्यवाही कर सकेगी ।

18. अपील का प्रारूप:-

(1) धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी है।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील अधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत ड़ाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी ।

19. अपील फाईल करने के लिए फीसः-

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रूपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रूपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

20. अपील के निपटारे की प्रक्रिया:-

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी, अपील फाईल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख का प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी:

(क) उसके समक्ष उपस्थिति अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेष राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

(5) विवाद की स्थिति में प्रथम अपील अधिकारी, अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर और द्वितीय अपील अधिकारी प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर होगें।

21. निविदा में वर्णित समस्त शर्तें सेवा संवेदक को स्वीकार करनी होगी।

22. विवाद की स्थिति में रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर को निर्णय अंतिम होगा।

23. निविदा से संबंधित किसी भी शर्तों, नियमों में परिवर्तन एवं निविदा को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार कौंसिल के पास सुरक्षित है।

24. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर रहेगा।

दिनांक.....................................

स्थान.......................................

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम.....................................

पूर्ण पता................................

मोबाइल नम्बर.........................

नोटः- उक्त प्रपत्रों पर निविदादाता को हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रारूप सं.1

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

.... की अपील सं. ....

(प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी) .... के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां :

(प) अपीलार्थी का नाम :

(पप) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :

(पपप) आवासिक पता :

2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :

(प)

(पप)

(पपप)

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गयी है और अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधो के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्रवाई या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है:

4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :

5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या :

6. अपील का आधार :

....

....

.... (शपथ–पत्र द्वारा समर्थित)

7. प्रार्थना : ....

....

....

स्थान : ....

तारीख : ....

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material bene either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement proc or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to m ad so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-co titive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procuremen rocess;

(d) not misuse any information shared between the procu Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement rocess;

(e) not indulge in any coercion including impairing or h ming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to s property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procureme process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Enti in India or any other country during the last three years or any debarment by any o r procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in hich a party has interests that could improperly influence that party's performance of ficial duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable law and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Inte t with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common;

b. receive or have received any direct or indirect subsi from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of th Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or thro common third parties, that puts them in a position to have access to information ut or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of th Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one bid in a b ding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disq lification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not mit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidd in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, s or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired s proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consulta of the contract.

Doc1

Annexure B : Declaration by the Bidder [illegible]arding Qualifications

Declaration by the Bidd[illegible]

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Not[illegible] Inviting Bids No............... Dated............... I/we hereby declare under Section 7 o[illegible] [illegible]ajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, fin[illegible]cial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issue[illegible] by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of th[illegible] taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified [illegible] the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt o[illegible] [illegible]eing wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial office[illegible] [illegible]t have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings f[illegible] any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not [illegible]ve, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct [illegible] the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to e[illegible] into a procurement contract within a period of three years preceding the commenceme[illegible] of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debar[illegible] proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as speci[illegible] in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competitio[illegible]

Date:

Place:

Signature [illegible] [illegible]idder

Name :

Design[illegible]

Add[illegible]

Annexure C : Grievance Redressal during Proc [illegible] ement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ______________________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ______________________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any de [illegible] ion, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions o [illegible] e Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to F [illegible] Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of te [illegible] ays from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly [illegible] g the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successfu [illegible] e appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceeding [illegible]

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates [illegible] Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the m [illegible] er of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be a [illegible] eptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) [illegible] ll deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it [illegible] within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose [illegible] the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospecti [illegible] idder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appe [illegible] e Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case m [illegible] be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Biddin [illegible] ocument in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in p [illegible] (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the [illegible] may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuri [illegible] ntity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the [illegible] process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiati [illegible]
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the [illegible] nexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order [illegible] ealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of pa [illegible] ent of fee.

Doc1

Annexure D : Additional Conditions of Contr[illegible]

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, [illegible] Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bid[illegible] the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the t[illegible] price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price [illegible]ll prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Pr[illegible]ing Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit p[illegible]ce, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall [illegible] corrected;
ii. if there is an error in a total corresponding to the [illegible]tion or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be [illegible]rected; and
iii. if there is a discrepancy between words and figures, [illegible] amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is relate[illegible] an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to [illegible] and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does n[illegible]ccept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security sh[illegible] be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, [illegible]orks or services originally specified in the Bidding Document may be increased [illegible] decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed [illegible]y percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without an[illegible] change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of co[illegible]act.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matt[illegible] of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to [illegible]ange in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation ex[illegible] otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional [illegible]antity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the [illegible]ginal order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the va[illegible] of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of [illegible]very of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to [illegible]nge for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurr[illegible] [illegible]ll be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder [illegible] the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of [illegible]ocurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it i[illegible]nsidered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very [illegible]ge and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver [illegible] entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be [illegible]ured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided bet[illegible] the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more [illegible]ders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidde[illegible] [illegible]ose Bid is accepted.

Form of Bid-Securing Declar[illegible]on

Date :
Bid No. :
Alternative No. :

To :

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be suppor[illegible] a Bid-Securing Declaration.
We accept that we are required to pay the bid security amount specified [illegible]e Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

(a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
(b) when we do not execute the agreement, if any, after placeme[illegible] supply/work order within the specified period;
(c) when we fail to commence the supply of the goods or service [illegible]cute work as per supply/work order within the time specified;
(d) when we do not deposit the performance security within spe[illegible] period after the supply/work order is placed;and
(e) if we breach any provision of code of integrity prescribed [illegible]ling specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from partic[illegible]g in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the er[illegible]d security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

(i) we are not the successful Bidder;
(ii) the execution of agreement for procurement and performance [illegible]ity is furnished by us in case we are successful bidder;
(iii) thirty days after the expiration of our Bid.
(iv) the cancellation of the procurement process; or
(v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting [illegible]nless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted,

Signed :---

Name :---

In the capacity of :-----------------------------

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on day of

Corporate Seal ---------------------------------------

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaratio[illegible]ust be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

(प्रारूप-11)

घोषणा प

1. मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तें पूर्ण रूप से पढ़ ली गई है तथा मैं इनकी पालना करने हेतु बाध्य रहूंगा ।
2. मैं/हम जिस सेवा के लिए निविदा दे रहे है, उस के पंजीकृत संस्था एजेन्ट है।
3. यदि यह घोषणा असत्य पायी जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि नियमानुसार की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी निविदा प्रतिभूति की पूर्ण रूप से समपहृत किया जा सकेगा तथा बोली/निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है रद्द किया जा सकेगा ।

दिनांकः

स्थानः

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम...

मोबाईल नम्बर.............................

पूर्ण पता...................................